उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

परमिशन वाद संख्या–01/2021

टुपे महतो वगै० बनाम रूद्रा अभिषेक राईस मिल प्रा० लि०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी तारीख

22/02/2022

— :: आदेश :: —

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (बिक्रेता)–(1) टुपे महतो, (2) मोहरलाल महतो, (3) शम्भु महतो, (4) महेन्द्र महतो, (5) देवकी महतो एवं (6) टुमन महतो सभी के पिता–स्व० गौरी महतो, निवास ग्राम–सुकरीगढ़ा, पो०–लारीकला, थाना–रजरप्पा, जिला–रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के अंतर्गत क्रेता रूद्रा अभिषेक राईस मिल प्रा० लि० बार्मफत निदेशक अभिषेक कुमार, पिता–स्व० भगवान दास अग्रवाल, निवास ग्राम–86 वर्धमान कम्पाउण्ड, नियर काली मंदिर, लालपुर, राँची, वर्त्तमान निवास ग्राम–सुकरीगढ़ा, पो०–लारीकला, थाना–रजरप्पा, जिला–रामगढ़ (झारखण्ड) को राईस मिल उद्योग विस्तार परियोजन हेतु नीचे वर्णित भूमि हस्तांतरण/बिक्री से सम्बन्धित प्राप्त अनुमति आवेदन के आलोक में अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ का पत्रांक–78/रा०, दिनांक–17.01.2022 से जांच प्रतिवेदन न्यायालय को प्राप्त, अवलोकन किया गया। बिक्री अनुमति हेतु प्रस्तावित भूमि की विवरणी निम्नवत् हैः–

मौजा	थाना/थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	कुल रकवा (अनुमति हेतु प्रस्तावित रकवा डिसमिल में)
सुकरीगढ़ा	रजरप्पा/124	36	612	47 डिसमिल
कुल रकबा				**47 डिसमिल (सैंतालीस डिसमिल)**

अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदकगण द्वारा अनुमति हेतु प्रस्तावित भूमि सर्वे खतियान में जैकिशुन महतो के नाम से दर्ज है। आवेदकगण खतियानी रैयत के परपोता है। राजस्व पंजी–II के पृष्ठ संख्या–112/1 पर बोधन महतो, पिता–स्व० चेतलाल महतो के नाम से खाता नं०–36 में कुल रकबा–9.23 एकड़ भूमि की जमाबन्दी कायम है।

अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा मौजा–सुकरीगढ़ा, थाना–रजरप्पा, थाना नं०–124, खाता संख्या–36, प्लॉट संख्या–612, रकबा–47 डिसमिल प्रस्तावित भूमि राईस मिल उद्योग विस्तार करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–49 अन्तर्गत बिक्री अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–49 के तहत आवेदकगण से प्राप्त अनुमति आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत भूमि का राजस्व पंजी–II के पृष्ठ संख्या–112/1 पर बोधन महतो, पिता–स्व० चेतलाल महतो के नाम से खाता नं०–36 में कुल रकबा–9.23 एकड़ भूमि की जमाबन्दी कायम होकर लगान रसीद निर्गत है तथा आवेदकगण दखलकार है। आवेदकगण के द्वारा न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर स्वेच्छा से राईस मिल उद्योग विस्तार परियोजन हेतु भूमि हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में इच्छा जाहीर किया गया है। इन्होंने आवेदकगण के अनुरोध पर एवं अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में मौजा–सुकरीगढ़ा, थाना–रजरप्पा, थाना नं०–124, खाता संख्या–36, प्लॉट संख्या–612, रकबा–47 डिसमिल (सैंतालीस डिसमिल) भूमि को बिक्री/हस्तान्तरण छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–49 के अंतर्गत क्रेता (रूद्रा अभिषेक राईस मिल प्रा० लि०) राईस मिल उद्योग विस्तार परियोजन हेतु परमिशन/अनुमति दिया जा सकता है।

62

अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में आवेदकगण (बिक्रेता) को मौजा–सुकरीगढ़ा, थाना–रजरप्पा, थाना नं०–124, खाता संख्या–36, प्लॉट संख्या–612, रकबा–47 डिसमिल (सैंतालीस डिसमिल) भूमि को बिक्री/हस्तान्तरण छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–49 के अंतर्गत क्रेता (रूद्रा अभिषेक राईस मिल प्रा० लि०) राईस मिल उद्योग विस्तार परियोजन हेतु परमिशन/अनुमति निम्नांकित शर्तो पर दी जाती हैः–

1. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–49(2) में वर्णित प्रावधानों के तहत यह अनुमति राईस मिल उद्योग विस्तार परियोजन कार्य हेतु दी जाती है। क्रेता द्वारा उक्त भूमि का गैर परियोजन अथवा किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरण मान्य नहीं होगा। साथ ही यदि उन्हें प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता नही हो तो विपक्षी (क्रेता) बिना किसी शर्त के प्रथम पक्ष (आवेदकगण) को वापस करेंगे।

2. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–49(4) में वर्णित प्रावधानों के तहत झारखण्ड मुद्रांक (अवमूल्यन निवारण) नियमावली वर्ष 2012 अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार के द्वारा अधिसूचित भूमि का न्यूनतम मूल्य मार्गदर्शिका पंजी में उक्त राजस्व ग्राम हेतु अद्यतन औद्योगिक दर से कम मूल्य पर प्रश्नगत भूखण्ड का हस्तान्तरण नही होगा और यह दर किसी परिस्थिति में "The Right to fair compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013" एवं यथा संशोधित अधिनियम के आलोक में प्रश्नगत भूमि अन्तर्गत उस क्षेत्र में उस किस्म की दी जाने वाली भूमि के दर से कम नही होगा।

3. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–49(5) में वर्णित प्रावधानों से यह आदेश प्रभावित होगा।

4. क्रेता द्वारा Jharkhand Rehabilitation and Resettlement Policy एवं सरकार द्वारा यथा संशोधित इस संबंध में निर्गत निदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चत किया जायेगा।

5. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित भू–लगान क्रेता द्वारा भूमि हस्तान्तरण के पश्चात राज्य सरकार को भुगतान किया जायेगा।

6. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–49(3) के आलोक में बिक्रेता (आवेदकगण) द्वारा क्रेता (विपक्षी) को भूमि हस्तांतरण निबंधित केवाला के माध्यम से किया जाएगा। निबंधित केवाला के पूर्व अधोहस्ताक्षरी आदेश में उल्लेखित शर्तों के संबंध में अंचल अधिकारी, चितरपुर से अनुमति ली जाएगी। अंचल अधिकारी, चितरपुर द्वारा भूमि हस्तांतरण हेतु निबंधित दस्तावेज में उपरोक्त सभी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन हुआ है, सुनिश्चित करेंगे। साथ ही बिक्रेता भूमि हस्तांतरण के पश्चात भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आते है एवं बिक्रेता हस्तांतरित भूमि के वास्तविक स्वामित्व/रैयत/हिस्सेदार एवं दखलकार हैं, सुनिश्चित कर निबंधन हेतु अनुमति प्रदान करेंगे।

7. अनुमति हेतु प्रस्तावित प्रश्नगत भूमि का निबंधन के पश्चात् अंचल अधिकारी, चितरपुर दाखिल–खारिज की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

8. जिला अवर निबंधक, रामगढ़, निबंधन से पूर्व क्रेता तथा बिक्रेता के मध्य सहमति/Consensus के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे।

उक्त विवेचन/शर्तो के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति अनुपालन के निमित्त अंचल अधिकारी, चितरपुर एवं जिला अवर निबंधक, रामगढ़ को भेजें।

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.05.20 16:00:07 +05:30
Location: 192.168.0.4

संचित करें।

लेखापित एंव संशोधित।

माधवी मिश्रा
22·02·2022
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
22·02·2022
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
रामगढ़।